



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 47) पटना, वृहस्पतिवार, 14 जनवरी 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2021

एस० ओ० 74, दिनांक 14 जनवरी 2021— बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 09, 2020) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 01 जनवरी 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 131)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 जनवरी 2021

एस० ओ० 74, दिनांक 14 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 131)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th January 2021

S.O. 74, Dated 14th January 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020 (Bihar Act 09, 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of January, 2021, as the date on which the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 13 of the said Act shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)131]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 47-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>